सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 20, सोमवार, *शाके* 1946-जून 10, 2024
Jyaistha 20, Monday , Saka 1946- June 10, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिकनिर्माण विभाग(पथ) राजस्थान, जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी खींवसर जिला नागौर (राजस्थान)

प्रपत्र –9

भूमि अवाप्ति की घोषणा

नागौर, जून 05, 2024

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन र्व्यस्थापन मे ंउचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 19 (1) एवं नियम 21 (1) के अधीन)

संख्या 7798199 :–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन र्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 19 (1) एवं नियम 21 (1)के अंतर्गत **राज्य सरकार को** ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन **के लिए** लालाप बाई पास **सडक** परियोजना के पुर्ननिर्माण /चौड़ीकरण/**विकसित किये जाने के** लिए ग्राम **लालाप** तहसील खींवसर जिला नागौर मे प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार कुल 7.2712 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए यह घोषणा की जाती है कि लोक प्रयोजन के लिए उपर्युक्त परियोजना हेतु ग्राम **लालाप** तहसील खींवसर जिला नागौर मे कुल 7.2712 हैक्टेयर भूमि **अवाप्ताधिन हैं, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।**

क्र. सं.	खसरा सं.	गांव का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हैक्टेयर) में	हितबद्धव्यक्ति का नाम और पता	प्रभावित संरचना
1	889/344	लालाप	निजी	बरानी–1 प्लस	0.2957	कैलाश पुत्र हरीराम हिस्सा पूर्ण कौम बावरी सा. देह खातेदार	
2	338	लालाप	निजी	बरानी–1 प्लस	0.0300	तिलोक राम पुत्र पाबूराम हिस्सा पूर्ण कौम जाट सा. देह खातेदार	
3	343	लालाप	निजी	बरानी–1 प्लस	0.5599	कचराराम पुत्र रामसुख हिस्सा 21/40, हीराराम पुत्र रामसुख हिस्सा 19/40 कौम जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सापूर्ण खाता आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नागौर	
4	339	लालाप	निजी	बरानी–1 प्लस	0.5635	मांगीलाल पुत्र रूगाराम हिस्सा पूर्ण कौम जाट	

क्र. सं.	खसरा सं.	गांव का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हैक्टेयर) में	हितबद्धव्यक्ति का नाम और पता	प्रभावित संरचना
						सा. देह खातेदार	
5	330	लालाप	निजी	बरानी–1 प्लस	0.2967	अजयपाल पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/2, सहदेव राम पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/2 कौम जाट सा. देह खातेदार	
6	329	लालाप	निजी	बरानी–1 प्लस	0.1369	मीरा पत्नि मगनाराम हिस्सा 1/2, रामदियाल पुत्र मगनाराम हिस्सा 1/2 कौमजाट सा. देह खातेदार, राहिन हिस्सा पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खींवसर	
7	327	लालाप	निजी	बरानी–1 प्लस	0.3932	मंजू पत्नि दिनेश हिस्सा पूर्ण कौम जाट सा. देह खातेदार	
8	324	लालाप	निजी	बरानी–1 प्लस	0.5932	रामनारायण पुत्र मूलाराम हिस्सा पूर्ण कौम जाट सा. देह खातेदार	
9	317	लालाप	निजी	बरानी–1 प्लस	0.4676	परमा पत्नि भंवरलाल हिस्सा 1/8, राहिन हिस्सा 1/8 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भाकरोद रामुराम पुत्र मांगाराम हिस्सा 1/2, रामेश्वरलाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/8, राहिन हिस्सा 1/8 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भाकरोद सन्तोष पुत्री भंवराराम हिस्सा 1/8, सुरेश पुत्र भंवराराम हिस्सा 1/8 कौम जाट सा. देह खातेदार	
10	**411**	लालाप	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0240	राजस्थान सरकार	

क्र. सं.	खसरा सं.	गांव का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हैक्टेयर) में	हितबद्धव्यक्ति का नाम और पता	प्रभावित संरचना
11	**496**	लालाप	सरकारी	गै.मु. श्मशान	0.0748	राजस्थान सरकार	
12	**497**	लालाप	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0270	राजस्थान सरकार	
13	600	लालाप	सरकारी	गै.मु. नाडी	**0.3600**	राजस्थान सरकार	
14	601	लालाप	सरकारी	गै. मु. गौचर	**3.0300**	राजस्थान सरकार	
15	652	लालाप	सरकारी	गै. मु. गौचर	0.3225	राजस्थान सरकार	
16	**336**	लालाप	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0240	राजस्थान सरकार	
17	333	लालाप	सरकारी	गै.मु. गोचर	**0.0482**	राजस्थान सरकार	
18	**651**	लालाप	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0240	राजस्थान सरकार	
कुलअर्जनका क्षेत्र(हैक्टेयर) में					7.2712		

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्न व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 के तहत इच्छुक और हितबद्व व्यक्तियों की आपतियों की सुनवाई और जांच के बाद की ला रही है। उपर्युक्त परियोजना हेतु की जा रही भूमि अवाप्ति से कोई भी व्यक्ति/परिवार विस्थापित नही होने से पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन योजना की आवश्यकता नही होने से ऐसा नही किया गया है।
अर्जित की जा रही भूमि के नीचे स्थित खनिजों का उपर्युक्त परियोजना के निर्माण हेतु खडडे खोदने, हटाने व निर्माण में प्रयुक्त करने के सिवाय खनन नही किया जावेगा।

भूमि अवाप्ति योजना (एल.ए.पी) का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी खींवसर के कार्यलय में किया जा सकता है।

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सा0नि0वि0, राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।